



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268737
CG-DL-E-22122025-268737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 373]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSA 1, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

सं. 39/2025-26

विषय: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत-यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अन्तर्गत टीआरक्यू के आवंटन की प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/01/एएम-22/पीसी-2[बी]/भाग-I/ई-35248.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2025-26 और व्यापार सूचना संख्या 16/2025-26 दिनांक 29.10.2025, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने के लिए टीआरक्यू का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली / निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के अन्तर्गत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत सोने के टीआरक्यू के आवंटन के पहले दौर के लिए बोलियां/निविदाएं आमंत्रित करता है:

- व्यापार और उद्योग से बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया अनुबंध - I में दिए गए निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से रखी गई है। इसे एमएसटीसी की वेबसाइट (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft>) पर देखा जा सकता है।
- वर्तमान निविदा प्रक्रिया में आवंटन की कुल मात्रा आवंटन के वर्तमान दौर में 30 मीट्रिक टन तक सीमित है।
- दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 08-10-2025 को हस्ताक्षरित दिनांक 26-09-2025 के आदेश के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टीआरक्यू आवंटन की शीघ्र समीक्षा करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाली याचिकाओं का निपटान किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ऑपरेटिव भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

“ 18. यह देखते हुए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में से छह महीने पहले ही बीत चुके हैं, उत्तरदाताओं को टीआरक्यू आवंटन की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कोटा का उपयोग किया जा सके।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं के लिए पूर्वोक्त समीक्षा को यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः आज से चार सप्ताह की अवधि के अंदर करना उचित होगा।

20. समीक्षा करते समय, संबंधित अधिकारी वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई शिकायतों/आशंकाओं को विधिवत रूप से ध्यान में रखेंगे, विशेष रूप से यह पहलू कि आवंटन नीति को एक ही व्यापक आधार बनाने और इसे उन आवेदकों तक विस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिनके पास पिछले कुछ वर्षों का पर्याप्त कारोबार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है (भले ही उनके पास सार्थक नेटवर्क हो) के साथ-साथ पहली बार टीआरक्यू आवंटन की मांग करने वाले।

21. यदि उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, तो डीजीएफटी तदनुसार टीआरक्यू आवंटित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें/मानदंड शामिल कर सकता है।

22. उपर्युक्त निदेशों के साथ, याचिकाओं (लंबित आवेदनों सहित) का निपटारा किया जाता है।”

- iv. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आवंटन को व्यापक बनाने के लिए, वर्तमान दौर के लिए पात्र प्रतिभागियों को केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ही सीमित रखा गया है, जो परिशिष्ट – 2क के अनुलग्नक – IV में दी गई पात्रता शर्तों का अनुपालन करते हैं और सूक्ष्म और लघु इकाइयों के बोलीदाताओं को आवंटन के लिए अधिकतम पात्रता मात्रा क्रमशः 10 किंग्रा और 25 किंग्रा तक सीमित है।
- v. एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) के पास इस बोली के अंतर्गत आवंटन के लिए कुल मात्रा को 50%, अर्थात अतिरिक्त 15 मी.टन. तक बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऊपर क्रम संख्या ii में दी गई कुल मात्रा से अधिक बोलियां मिलती हैं।
- vi. किसी दिए गए आईईसी के लिए केवल एक पंजीकृत उपयोगकर्ता (एमएसटीसी वेबसाइट पर) को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त,
 - क. यदि पंजीकृत उपयोगकर्ता का विवरण आईईसी में आ रहा है (प्रोपराइटर, भागीदार, निदेशक आदि के रूप में), तो तकनीकी बोली के दौरान आईईसी की एक प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर जमा करनी होगी।
 - ख. यदि पंजीकृत उपयोगकर्ता का नाम बोली लगाने वाले के आईईसी विवरण में नहीं आता है, तो जिस प्रोपराइटर/भागीदार/कर्ता/निदेशक का नाम आईईसी विवरण में है, उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया हुआ एक प्राधिकार पत्र तकनीकी बोली के दौरान एमएसटीसी पोर्टल पर जमा करना होगा।
- vii. निविदा प्रक्रिया का अनंतिम कार्यक्रम अनुलग्नक-II में दिया गया है।
- viii. आवंटन के अगले दौर की अनुसूची आवंटन के वर्तमान दौर के समापन के बाद बताइ जाएगी।
- ix. कोई भी गलत जानकारी, तथ्य को छिपाने, या गलत बयान के परिणामस्वरूप निविदा शुरू से ही रद्द कर दी जाएगी और एफटीडीआर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, लागू नियमों, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), प्रक्रिया पुस्तक(एचबीपी), और निविदा दस्तावेज के प्रावधान के तहत सज्जा हो सकती है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत-यूएई सीईपीए के अन्तर्गत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत सोने के आयात के लिए टीआरक्यू के आवंटन के प्रथम चरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

अजय भाद्र, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

अनुलग्नक-।

विदेश व्यापार महानिदेशालय

भारत सरकार

भारत-यूएई - सीईपीए के अंतर्गत सोना प्रशुल्क दर कोटा हेतु

निविदा दस्तावेज़

1. महत्वपूर्ण सूचना

1.1. यह निविदा दस्तावेज भारत - यूएई सीईपीए (इसके बाद "टीआरक्यू" के रूप में संदर्भित) के तहत सोने के लिए प्रशुल्क दर कोटा के आवंटन के लिए ई-नीलामी करने के इरादे से व्यापार सूचना संख्या 16/2025-26 दिनांक 29.10.2025 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2025-26 के अनुसार जारी किया गया है। "इस निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई सभी जानकारी को विदेश व्यापार नीति, 2023 (इसके बाद "एफटीपी" के रूप में संदर्भित), प्रक्रिया पुस्तक, 2023 (इसके बाद "एचबीपी" के रूप में संदर्भित), सार्वजनिक सूचना और विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी व्यापार सूचना (इसके बाद "डीजीएफटी" के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।" इस निविदा दस्तावेज और एफटीपी या एचबीपी के प्रावधानों के बीच टकराव की स्थिति में, एफटीपी या एचबीपी (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

1.2. एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके प्रयोजनों के लिए, टीआरक्यू के अंतिम आवंटन की घोषणा तक, केवल डीजीएफटी इसके तहत कोई भी संचार जारी करने के लिए अधिकृत है और डीजीएफटी से केवल लिखित संचार, जो डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर अपलोड किए गए को ही आधिकारिक संचार माना जाएगा। "व्यापार की सुविधा के लिए, एमएसटीसी लिमिटेड (इसके बाद "एमएसटीसी" के रूप में संदर्भित) की ई-नीलामी वेबसाइट पर उक्त लिखित संचार (डीजीएफटी द्वारा टीआरक्यू आवंटन की घोषणा तक) भी अपलोड किया जाएगा।"

1.3. यह निविदा दस्तावेज न तो एक अनुबंध है और न ही संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को डीजीएफटी द्वारा एक प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा दस्तावेज के अनुसार अपनी बोलियां बनाने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है। प्रत्येक बोलीदाता को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में निहित

जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

1.4. बोलीदाता (ओं) को इस निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी कई स्रोतों से एकत्र की गई है, जिनमें से कुछ लागू कानून की व्याख्या पर निर्भर हो सकती है। दी गई जानकारी का उद्देश्य वैधानिक आवश्यकताओं का एक संपूर्ण व्यौरा नहीं है और इसे पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। डीजीएफटी इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी बयान के लिए सटीकता या कोई अन्य जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

1.5. डीजीएफटी किसी भी बोली दाता के इस निविदा दस्तावेज में निहित कथनों के भरोसे पर किसी भी प्रकार की कोई देयता स्वीकार नहीं करता है।

1.6. डीजीएफटी, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी, आंकलन या मान्यताओं को अद्यतन, संशोधित या जोड़ सकता है।

1.7. इस निविदा दस्तावेज के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि डीजीएफटी बोलीदाताओं का चयन करने या टीआरक्यू के आवंटन के लिए पसंदीदा बोलीदाताओं को सफल बोलीदाताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है और डीजीएफटी बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलीदाता या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.8. हर बोली लगाने वाले को बोली तैयार करने और जमा करने से जुड़े सभी व्यय वहन करने होंगे, जिसमें तैयारी, कॉपी करना, डाक, वितरण शुल्क, किसी भी प्रदर्शन या प्रस्तुतियों से जुड़े खर्च शामिल हैं, जिनकी डीजीएफटी/एमएसटीसी

को आवश्यकता हो सकती है, या उसकी बोली के संबंध में होने वाले दूसरे व्यय भी शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

1.9. यदि किसी कार्य के पूरा करने की नियत तिथि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ती है, तो कार्य पूरा करने की तिथि अगले कार्य दिवस तक मानी जाएगी। "सार्वजनिक अवकाश" में शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य दिन शामिल है, जैसी भी परिस्थिति हो।

1.10. प्रत्येक बोलीदाता उसकी और से जनित किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार होगा जैसे विजली की जाना, इंटरनेट कनेक्शन की समस्या, बोलीदाता के कंप्यूटर के साथ कोई समस्या आदि, जिससे बोलीदाता को ई-नीलामी में बोली लगाने से असुविधा हो सकती है या बोली नहीं लगा सकता है।

2. परिभाषाएं

यहाँ प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया है। जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस निविदा दस्तावेज पर निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

2.1. "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 से है।

2.2. "लागू कानून" का अर्थ होगा सभी लागू कानून, कानून, उप-कानून, नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश, प्रोटोकॉल, कोड, दिशानिदेश, सूचनाए, निदेश, निर्णय, डिक्री या अन्य आवश्यकताएं या किसी सरकारी प्राधिकरण या न्यायालय के आधिकारिक निदेश या अन्य कानून, नियम या विनियमन से है जिसे सरकार के संबंधित सरकारी प्राधिकरण से, सरकारी संकल्प, निदेश या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी अन्य समान प्रकार का निर्णय या निर्धारण द्वारा या किसी निर्वचन या न्याय निर्णय जो उचित समय पर भारत में कानून द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

2.3. "बोलीदाता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो गोल्ड टीआरक्यू नीलामी में भाग लेने के उद्देश्य से एमएसटीसी वेबसाइट (यूआरएल: <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft>) पर पंजीकृत है, और बोलीदाताओं में ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होंगे।

2.4. "बोली की नियत तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन या उससे पूर्व तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.5. "बोली प्रतिभूति" का अर्थ इस दस्तावेज के खंड 11 में दी गई अभिव्यक्ति से है।

2.6. "डीजीएफटी वेबसाइट" से तात्पर्य <https://www.dgft.gov.in> से है।

2.7. "एक्ज़िम सुविधा समिति" का अभिप्राय एक्ज़िम सुविधा समिति (ईएफसी) से है जैसा कि विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक में परिभाषित किया गया है।

2.8. "वित्तीय बोली / मूल्य बोली" का तात्पर्य समेकित प्रपग से है जिसमें प्रत्येक मूल्य श्रेणी के समक्ष आवश्यक मात्रा निर्दिष्ट की जाती है।

2.9. "प्रिफर्ड बोलीदाता" का अर्थ ऐसे बोलीदाता से है जिसे ईएफसी ने टीआरक्यू की कोई मात्रा आवंटित की है, और ऐसे प्रिफर्ड बोलीदाता के लिए "कुल आवंटित टीआरक्यू" का अर्थ ईएफसी द्वारा सभी मूल्य श्रेणी में उस बोलीदाता को आवंटित टीआरक्यू की कुल मात्रा से है।

2.10. "मूल्य श्रेणी" से तात्पर्य प्रति किलोग्राम सोने की उस विशिष्ट कीमत से है जो बोलीदाता आवंटित मात्रा में टीआरक्यू के लिए डीजीएफटी को भुगतान करने को तैयार है। सुविधा के लिए, निविदा में 1000 के चरणों में 100000 से 0 तक की 101 मूल्य श्रेणियां शामिल हैं।

2.11. "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

2.12. "सफल बोलीदाताओं" से तात्पर्य उन प्रिफर्ड बोलीदाताओं से है जो इस दस्तावेज के खंड 8 में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं।

- 2.13. “तकनीकी बोली” का वही अर्थ होगा जो इस दस्तावेज के खंड 7.2 में दी इस अभिव्यक्ति को दिया गया है।
- 2.14. “तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं” का अर्थ खंड 7.2 में दी गई अभिव्यक्ति के अनुसार होगा
- 2.15. “निविदा दस्तावेज” से तात्पर्य इस निविदा दस्तावेज के साथ ही इसमें उल्लिखित अनुसूचियां और दस्तावेजों से हैं जिसमें सूचना ज्ञापन और इस निविदा दस्तावेज के कोई भी परिशिष्ट शामिल हैं।

3. परिचय

- 3.1. दिनांक 29.10.2025 की सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2025-26 में भारत-यूएई सीईपीए के अंतर्गत सोने के संबंध में प्रतिस्पर्धी बोली/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से टीआरक्यू के आवंटन का प्रावधान है।
- 3.2. अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डीजीएफटी ने दिनांक 29.10.2025 की सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2025-26 और एफटीपी, 2023 के अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित प्रक्रियाओं के माध्यम से टीआरक्यू के लिए आवेदन दायर करने के लिए पात्रता मानदंड को अधिसूचित किया है। बोलीदाताओं को इसके साथ खुद को परिचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 3.3. ई-नीलामी एफटीपी और एचबीपी के उपर्युक्त प्रावधानों और इस निविदा दस्तावेज के अनुसार आयोजित की जाएगी।
- 3.4. बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की प्रचलित कीमतों के संबंध में उचित जांच-पड़ताल करें और सोने के आयात, उसकी भौतिक सुपुर्दगी आदि से संबंधित सभी लागू कानूनों से स्वयं को परिचित कराएं।

4. भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने का प्रशुल्क दर कोटा।

- 4.1. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए), जो 1 मई 2022 को लागू हुआ, प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) तंत्र के तहत संयुक्त अरब अमीरात से आयातित सोने की निर्दिष्ट मात्रा के लिए तरजीही प्रशुल्क पहुंच प्रदान करता है। टीआरक्यू का उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना, आयात प्रवाह को पूर्वानुमानित करना और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।
- 4.2. सीईपीए प्रतिबद्धताओं के तहत, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से सालाना आयातित सोने की अधिसूचित मात्रा पर रियायती मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का विस्तार किया है, जैसा कि परिशिष्ट 2क के तहत दिया गया है।
- 4.3. सोने के लिए वार्षिक टीआरक्यू मात्रा का आवंटन डीजीएफटी द्वारा परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV के अंतर्गत अधिसूचित दिशानिदेशों के अनुसार किया जाता है। डीजीएफटी के अंतर्गत जारी टीआरक्यू प्राधिकार पत्र आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के समय रियायती शुल्क दरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

5. पात्रता

- 5.1. दिनांक 29.10.2025 की सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2025-26 द्वारा संशोधित परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक IV के अनुसार, ई-नीलामी में भाग लेने की पात्रता निम्नानुसार होगी:
- 5.1.1. हॉलमार्किंग प्रमाण चिन्ह अंकित करने के लिए पात्र आवेदक को भारतीय मानक व्यूरो (बीआइएस) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- 5.1.2. आवेदक भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमों के तहत पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास वैध जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआइएन) होनी चाहिए।
- 5.1.3. टीआरक्यू के अंतर्गत गोल्ड डोरे का आयात मान्य नहीं होगा।

6. बोली-पूर्व परामर्श

- 6.1. संभावित बोलीदाता इस निविदा दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।
- 6.2. इस निविदा दस्तावेज के संबंध में किसी भी प्रश्न या अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध डीजीएफटी वेबसाइट पर हेल्पडेस्क अनुरोध के माध्यम से किया जा सकता है।

6.3. हेल्पडेस्क अनुरोध में निम्नलिखित विषय पंक्ति स्पष्ट रूप से होनी चाहिए: "प्रश्न/अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध: भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने के लिए टीआरक्यू के लिए निविदा दस्तावेज"

6.4. प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं और लागू कानून का पूरा विवरण और प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का विवरण होना चाहिए। डीजीएफटी किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें अपूर्ण या गुमनाम प्रश्न भी शामिल हैं।

6.5. प्रश्नों को बोली शुरू होने की तारीख से 3 दिन पहले ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए।

6.6. यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताए अनुसार प्रश्नों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद कोई प्रश्न प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं।

6.7. डीजीएफटी 3 दिनों की अवधि के भीतर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेगा। तथापि, डीजीएफटी अपने विवेकाधिकार पर किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने या कोई स्पष्टीकरण न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और इस निविदा दस्तावेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे डीजीएफटी को किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य या आवश्यक माना जाए।

6.8. संभावित बोलीदाताओं के पूर्व-बोली परामर्श व्यापार सूचना में उल्लिखित निर्धारित तिथि पर डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। डीजीएफटी अपने विवेकाधिकार पर, बोली-पूर्व परामर्श को आभासी माध्यम (या आभासी और भौतिक माध्यमों के मिश्रित रूप) के माध्यम से आयोजित करने का विकल्प चुन सकता है, जो कि डीजीएफटी द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।

6.9. प्रत्येक संभावित बोलीदाता के अधिकतम 1 प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्ते वे संभावित बोलीदाता द्वारा विधिवत जारी किया गया प्राधिकार पत्र और पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करें। डीजीएफटी निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, अपने विवेकानुसार, उचित समझे जाने वाले स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा।

6.10. डीजीएफटी, यदि आवश्यक समझे तो, स्वयं ही सभी संभावित बोलीदाताओं को व्याख्याएँ और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। डीजीएफटी द्वारा जारी सभी स्पष्टीकरण और व्याख्याएँ निविदा दस्तावेज का हिस्सा मानी जाएंगी।

7. बोली प्रक्रिया

7.1. पंजीकरण:

7.1.1. भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने के लिए टीआरक्यू के आवंटन हेतु बोलियां जमा करने के लिए, बोलीदाता को एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए, बोलीदाता को एमएसटीसी वेबसाइट यूआरएल - "<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft>" पर डीजीएफटी को समर्पित पृष्ठ पर जाना चाहिए और "पंजीकरण" बटन पर क्लिक करना चाहिए।

7.1.2. स्क्रीन पर एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा और बोलीदाता को इसे भरना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता को अपना "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" बनाना होगा और उसे नोट करके रखना होगा। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यूजर आईडी और पासवर्ड की गोपनीयता हर समय बनी रहे और यूजर आईडी और पासवर्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए बोलीदाता ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

7.1.3. उपर्युक्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर, बोलीदाता एमएसटीसी की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकेगा। ई-निविदा में बोली जमा करने के लिए बोलीदाताओं के पास वैध क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) होना आवश्यक है।

7.2. निविदा प्रक्रिया:

7.2.1. निविदा में "तकनीकी और वित्तीय बोली" दोनों घटक शामिल होंगे, जिन्हें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.2.2. बोलीदाताओं को "बोली जमा करने की नियत तारीख" को या उससे पहले बोली जमा करनी होगी।

7.2.3. निविदा में तकनीकी बोली, योग्यता के लिए दस्तावेज़ अपलोड और एक्सेल आधारित मूल्य बोली के साथ एक ही लॉट होगा। बोली लगाने वाले को दस्तावेज अपलोड करने और बोली जमा करने से पहले 5000 रुपये का सहभागिता शुल्क जीएसटी सहित और 1,00,000 रुपये की बोली प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

7.2.4. तकनीकी बोली में तकनीकी योग्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण शामिल है, जिसमें बोलीदाता का वैध जीएसटी पंजीकरण, बोलीदाता का वैध हॉलमार्क पंजीकरण, वैध आयात-निर्यात कोड (आईईसी), वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मामले में) और प्रस्तुत तकनीकी दस्तावेजों में तकनीकी शर्तों हेतु टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना शामिल है। सभी आवश्यक तकनीकी दस्तावेज बोलीदाता द्वारा निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार ही अपलोड किए जाने चाहिए।

7.2.5. एक बार जब बोलीदाता द्वारा दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हों और तकनीकी बोली जमा कर दी गई हो, तो बोलीदाता वित्तीय/मूल्य बोली जमा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

7.2.6. एक्सेल आधारित मूल्य बोली में 101 मूल्य श्रेणियां शामिल होंगी। बोलीदाता को संबंधित मूल्य श्रेणियों के लिए बोली लगाने की इच्छित मात्रा को इंगित करना आवश्यक है। बोली लगाने वाले अपनी पसंद के अनुसार किसी भी संख्या में मूल्य श्रेणियों के लिए बोली लगा सकते हैं। सभी राशियाँ केवल पूर्ण संख्याओं में ही दर्ज की जानी चाहिए। एक्सेल आधारित मूल्य बोली का प्रारूप इस प्रकार है:

7.2.7. बोलीदाता वित्तीय बोली अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध एक्सेल शीट डाउनलोड करेगा। बोलीदाता को एक्सेल शीट में संबंधित मूल्य श्रेणियों के सामने आवश्यक मात्रा का विवरण विधिवत भरना होगा और वित्तीय बोली अनुभाग के अंतर्गत अपलोड करने से पहले उसी फाइल नाम से फाइल को सुरक्षित करना होगा।

7.2.8. एक्सेल शीट अपलोड करने के बाद, बोलीदाता एमएसटीसी पोर्टल पर सफलतापूर्वक बोली जमा करने के लिए "फाईल बिड सबमिशन" पर क्लिक करेगा।

7.3. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता वे हैं जिन्होंने पात्रता शर्तों को पूरा किया है और तकनीकी बोली में इसे प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

7.4. वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जो डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मौजूदा नियमों के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य हैं।

7.5. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता के रूप में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं को अयोग्यता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या प्रदान करने के लिए डीजीएफटी वाध्य नहीं है।

7.6. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों की सूची एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) को प्रस्तुत की जाएगी। ईएफसी, बोली में निर्धारित मात्राओं के बराबर या उससे कम मात्राओं का आवंटन उचित समझे जाने वाली सीमाओं के अधीन करेगा। जिन बोलीदाताओं को ईएफसी द्वारा टीआरक्यू आवंटित किया गया है, उन्हें प्रिफेर्ड बोलीदाता माना जाएगा।

7.7. किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए एमएसटीसी के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

- हेल्पडेस्क नंबर: 011-65263075, 011-65263076, 011-65263077
- श्री केशव अरोरा, संपर्क: 9830430434, ईमेल: Nroopn15@mstcindia.in
- श्रीमती उन्नति सैनी, संपर्क: 7471118456, ईमेल: nroopn7@mstcindia.in

इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए डीजीएफटी के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

क. श्री मनीष सिरोही, विदेश व्यापार विकास अधिकारी, दूरभाष: 011-23038996

ख. श्री अनिमेष चौधरी, विदेश व्यापार विकास अधिकारी, दूरभाष: 011-23038796

ग. श्री अजय चौधरी, विदेश व्यापार विकास अधिकारी, दूरभाष: 011-23038833

नोट:

- i. बोलीदाता सहायता के लिए उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध "बोलीदाता मार्गदर्शिका" का भी संदर्भ ले सकते हैं।
- ii. बोलीदाता ध्यान दें कि किसी दिए गए क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार डीएससी के साथ केवल एक उपयोगकर्ता आइडी मैप की जाएगी। क्लास III के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। बोलीदाता क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप डीएससी के किसी भी दुरुपयोग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में किसी भी स्तर पर एमएसटीसी/डीजीएफटी द्वारा कोई शिकायत/प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. सफल बोलीदाताओं की उद्घोषणा

8.1. प्रिफेर्ड बोलीदाताओं को निम्नलिखित कार्यों के पूरा होने पर ही सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा:

8.1.1. एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्न-IV में निर्दिष्ट शर्तों और डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना/व्यापार सूचना में बाद में उल्लिखित किसी भी अन्य शर्तों को पूरा करें।

8.1.2. नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करके डीजीएफटी वेबसाइट पर टीआरक्यू आवेदन दाखिल करें-

(<https://dgft.gov.in>) --> आयात प्रबंधन प्रणाली -->प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)

8.1.3. ईएफसी द्वारा डीजीएफटी को आवंटित मात्रा के लिए बोली राशि का भुगतान, डीजीएफटी वेबसाइट पर प्रस्तुत टीआरक्यू आवेदन के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा टीआरक्यू मात्राओं के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर करना होगा।

8.2. सफल बोलीदाता निविदा दस्तावेज के खंड 11 में वर्णित 4 सप्ताह की अवधि के भीतर तकनीकी बोली प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा जमा की गई बोली प्रतिभूति की वापसी का हकदार है।

8.3. यदि प्रिफेर्ड बोलीदाता उपर्युक्त अवधि के भीतर बोली राशि जमा करने में विफल रहता है, तो डीजीएफटी प्रिफेर्ड बोलीदाता की बोली प्रतिभूति को जब्त कर लेगा; और वर्तमान और बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान आगे के आवंटन के लिए बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर देगा।

9. समयसारणी

निविदा प्रक्रिया की समय सारिणी डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में दी जाएगी। डीजीएफटी द्वारा बाद के शुद्धिपत्र जारी करके समय सारिणी में संशोधन किया जा सकता है।

10. निविदा प्रक्रिया के संबंध में सामान्य शर्तें

10.1. तकनीकी बोली जमा करना

10.1.1. तकनीकी घटक में तकनीकी योग्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें बोलीदाता के वैध जीएसटी पंजीकरण, बोलीदाता के वैध हॉलमार्क पंजीकरण, वैध आईईसी नंबर, वैध एमएसएमई प्रमाण पत्र (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मामले में) और तकनीकी व्यापारिक विनिर्देश के संबंध में टिप्पणी जमा करना शामिल है। सभी आवश्यक तकनीकी दस्तावेजों को बोलीदाता की निविदा आवश्यकताओं के अनुसार ही अपलोड करना होगा।

10.1.2. एक बार जब दस्तावेज अपलोड कर दिए जाते हैं और बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर दी जाती है, तो बोलीदाता वित्तीय/पूल्य बोली जमा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

10.2. भाषा

निविदा दस्तावेज और बोली के संबंध में या उससे संबंधित बोली और सभी संचार अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए।

10.3. दस्तावेज और सूचना

निविदा दस्तावेज और डीजीएफटी द्वारा प्रदान किए गए सभी संलग्न दस्तावेज डीजीएफटी की संपत्ति है और बने रहेंगे या बन जाएंगे, और इन्हें बोलीदाताओं को सिर्फ लागू कानूनों के अनुसार बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से दिया जाता

है। बोलीदाता अपनी बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। इस खंड के प्रावधान बोली के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों और अन्य सभी दस्तावेजों पर भी लागू होंगे, और डीजीएफटी बोलीदाताओं को किसी भी बोली, दस्तावेज या उसके साथ प्रदान की गई किसी भी जानकारी को वापस नहीं करेगा।

10.4. बोली लगाने की लागत

बोलीदाता अपनी बोलियों की तैयारी और निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से जुड़ी सभी लागतों के लिए जिम्मेदार होंगे। डीजीएफटी निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना ऐसी लागतों के लिए जिम्मेदार या किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

10.5. बोलीदाताओं द्वारा जानकारी का सत्यापन

10.5.1. यह माना जाएगा कि बोली जमा करके, बोलीदाता ने:

- (क) निविदा दस्तावेज की पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच की और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से शर्तों को स्वीकार कर लिया।
- (ख) डीजीएफटी द्वारा दी गई सभी संबंधित जानकारी की समीक्षा की गई, जो शायद बोली से संबंधित हो सकती है।
- (ग) निविदा दस्तावेजों में दी गई जानकारी या डीजीएफटी द्वारा या उसकी ओर से ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़े किसी भी मामले के बारे में दी गई जानकारी में कमी, गलती या चूक के जोखिम को स्वीकार किया।
- (घ) इस निविदा दस्तावेज के अनुसार, जानकारी वाली बोली लगाने और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़े सभी मामलों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है।
- (ड.) यह स्वीकार किया और सहमति दी कि निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की अपर्याप्तता, अधूरापन या गलत होना, या ऊपर बताए गए ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़े किसी भी मामले की जानकारी न होना, डीजीएफटी से मुआवजे, हर्जने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने, लाभ के नुकसान आदि के किसी भी दावे का आधार नहीं होगा।
- (च) इसके तहत और इसके नियमों के अनुसार उसके द्वारा दी गई वचनबद्धता से बंधे रहने पर सहमति व्यक्त की।

10.5.2. डीजीएफटी दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी चूक, गलती या त्रुटि के लिए या निविदा दस्तावेज या निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले या चीज़ के कारण होने वाली किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें डीजीएफटी द्वारा दी गई किसी भी जानकारी या आँकड़े में कोई गलती या चूक शामिल है।

10.6. डीजीएफटी द्वारा सत्यापन और प्रतिबंध

डीजीएफटी के पास निविदा दस्तावेज के जवाब में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी बयानों, सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है और जब भी डीजीएफटी को आवश्यकता होगी, तो बोलीदाता ऐसी सभी जानकारी, साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा जो इस तरह के सत्यापन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। डीजीएफटी द्वारा इस तरह के सत्यापन या इस तरह के सत्यापन की कमी बोलीदाता को इसके तहत अपने दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी और न ही इसके तहत डीजीएफटी के किसी भी अधिकार को प्रभावित करेगी।

10.7. बोली देय तिथि और विस्तार

डीजीएफटी अपने विवेकाधिकार में, डीजीएफटी वेबसाइट पर सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराई गई व्यापार सूचना जारी करके बोली देय तिथि का विस्तार कर सकता है।

10.8. बोलियों में संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी

बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोली देय तिथि से पहले, अपनी तकनीकी बोली को संशोधित, स्थानापन्न या वापस ले सकता है। बोली देय तिथि पर बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम समय के बाद बोलीदाता द्वारा कोई तकनीकी बोली संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस नहीं ली जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा स्पष्ट रूप से मांग नहीं की गई हो।

10.9. बोलियों की अस्वीकृति

10.9.1. इस निविदा दस्तावेज में लिखी किसी भी बात के बाबजूद, डीजीएफटी के पास बिना किसी उतरदायित्व या जवाबदेही के और बिना कोई कारण बताए, किसी भी बोली को अस्वीकार करने/या निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

10.9.2. यदि इस तरह के रद्दकरण बोली के प्रस्तुतिकरण की तुलना में संबंधित बोलीदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन के अनुसार है, तो डीजीएफटी ऐसे गैर-अनुपालन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत संबंधित बोली प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.9.3. डीजीएफटी के पास बिना किसी सूचना या ज़िम्मेदारी के, किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने और बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

10.9.4. उपर्युक्त पर सामान्य तौर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डीजीएफटी इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किसी भी मानदंड पर किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, ऐसी बोलियां शामिल हैं:

- (क) निविदा दस्तावेज सूचीबद्ध सभी जानकारी और विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (ख) निविदा दस्तावेज शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।
- (ग) बोली प्रतिभूति या वैधता की अवधि के बिना बोलियां प्रस्तुत की गई हैं।
- (घ) बोलियां निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

10.10. बोली की वैधता

बोली में दी गई मूल्य बोली ईएफसी द्वारा टीआरक्यू के अंतिम आवंटन या निविदा प्रक्रिया की समाप्ति/रद्द करने, जो भी बाद में हो, तक मान्य है।

10.11. बोलीदाता को प्रभावित करने वाला परिवर्तन

तकनीकी बोली प्रस्तुत करने पर, पात्रता शर्तों के अनुपालन के संबंध में बोलीदाता को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी जानकारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत डीजीएफटी को सूचित किया जाना चाहिए।

10.12. लघु परिवर्तन

डीजीएफटी इस निविदा में आवश्यक दस्तावेजों में मामूली परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पात्रता से संबंधित मामलों में इस तरह के मामूली परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के संबंध में अनुमति दी जाएगी। मामूली परिवर्तन के बारे में डीजीएफटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. बोली प्रतिभूति

11.1. बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली के भाग के रूप में, एमएसटीसी पोर्टल पर 1,00,000/- रुपये की राशि की प्रतिभूति जमा करनी होगी।

11.2. निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति डीजीएफटी द्वारा, बिना किसी ब्याज के, प्रिफेर्ड बोलीदाता की उद्घोषणा की तिथि या निविदा प्रक्रिया रद्द होने की तिथि से जो भी पहले हो, 4 (चार) सप्ताह के अंदर वापस कर दी जाएगी,

11.3. प्रिफेर्ड बोलीदाता की बोली प्रतिभूति आवंटित मात्रा के लिए टीआरक्यू प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डीजीएफटी को बोली राशि के सफल भुगतान से चार सप्ताह की अवधि के भीतर बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

11.4. यदि प्रिफेर्ड बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर डीजीएफटी को टीआरक्यू आवेदन के साथ बोली राशि जमा करने में विफल रहता है, तो डीजीएफटी बोली प्रतिभूति को नुकसान के रूप में जब्त करने और उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी बोलीदाता को बोली प्रतिभूति पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

11.5. बोली प्रतिभूति को किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षति के रूप में जब्त किया जाएगा जो निविदा दस्तावेज के तहत डीजीएफटी को उपलब्ध हो सकता है और/या अन्यथा, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि कोई बोलीदाता इस निविदा दस्तावेज के खंड 12 में निर्दिष्ट गलत कार्यकलाप, प्रतिरोधी कार्यकलाप या प्रतिबंधात्मक कार्यकलाप में संलग्न है।

12. गलत कार्यकलाप

12.1. बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार निविदा प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे। इसमें लिखी किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, डीजीएफटी किसी भी बोली को अस्वीकार कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और इसके लिए वह बोलीदाता, तकनीकी योग्य बोलीदाता, प्रिफेर्ड बोलीदाता, या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, के प्रति किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर डीजीएफटी यह तय करता है कि बोलीदाता, तकनीकी योग्य बोलीदाता, प्रिफेर्ड बोलीदाता, या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के ज़रिए, निविदा प्रक्रिया में धोखाधड़ी वाले कार्य, प्रतिरोधी कार्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में हिस्सा लिया है। ऐसी स्थिति में, डीजीएफटी को निविदा दस्तावेज और/या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध किसी भी दूसरे अधिकार या उपाय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, तुकसान के तौर पर पूरी बोली प्रतिभूति को ज़ब्त करने और अपने पास रखने का अधिकार होगा।

12.2. यदि डीजीएफटी को पता चलता है कि किसी बोलीदाता, तकनीकी योग्य बोलीदाता, प्रिफेर्ड बोलीदाता या सफल बोलीदाता ने, जैसा भी मामला हो, निविदा प्रक्रिया के दौरान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के ज़रिए, किसी भी धोखाधड़ी वाला कार्य, प्रतिरोधी कार्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में हिस्सा लिया है, तो ऐसे बोलीदाता या सफल बोलीदाता को डीजीएफटी द्वारा बनाए गए अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में डाल दिया जाएगा और वह उस तारीख से 3 (तीन) साल की अवधि के लिए डीजीएफटी द्वारा जारी की गई किसी भी निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगा, जिस तारीख को डीजीएफटी को पता चलता है कि ऐसे बोलीदाता या सफल बोलीदाता ने, जैसा भी मामला हो, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के ज़रिए, किसी भी धोखाधड़ी वाला कार्य, प्रतिरोधी कार्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में हिस्सा लिया है।

12.3. इस निविदा दस्तावेज के लिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो नीचे दिया गया है:

12.3.1. “गलत कार्यकलाप” का अर्थ है निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से बताना या छिपाना या तथ्यों को दबाना या अधूरी जानकारी देना।

12.3.2. “प्रतिरोधी कार्यकलाप” का अर्थ है किसी व्यक्ति या संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना या हानि पहुंचाने की धमकी देना, ताकि निविदा प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की भागीदारी या कार्रवाई पर असर डाला जा सके; और

12.3.3. “प्रतिबंधात्मक कार्यकलाप” का अर्थ है निविदा प्रक्रिया में पूरी और निष्पक्ष प्रतियोगिता को सीमित करने या उसमें हेरफेर करने के उद्देश्य से बोलीदाता के बीच उत्पादक संघ बनाना या कोई समझौता या व्यवस्था करना।

13. अन्य प्रावधान

13.1. शासकीय कानून

निविदा प्रक्रिया भारत के कानूनों द्वारा शासित और उसके अनुसार लागू की जाएगी।

13.2. डीजीएफटी के अधिकार

13.2.1. डीजीएफटी, अपने विवेकाधिकार में और बिना किसी दायित्व या जिम्मेदारी के, किसी भी समय अधिकार सुरक्षित रखता है, कि:

(क) निविदा प्रक्रिया को निलंबित और/या रद्द और/या निविदा प्रक्रिया में संशोधन और/या पूरक या उससे संबंधित तिथियों या अन्य नियमों और शर्तों को संशोधित करना;

(ख) किसी भी बोलीदाता के साथ परामर्श प्राप्त करने स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए;

(ग) किसी भी बोलीदाता की ओर से और/या उसके संबंध में डीजीएफटी को प्रस्तुत कोई भी जानकारी और/या साक्ष्य अपने पास रखने; और/या

(घ) किसी भी बोलीदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किसी भी और सभी प्रस्तुतियों या अन्य जानकारी और/या साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से सत्यापित, अयोग्यता, अस्वीकार और/या स्वीकार करना।

13.2.2. यह माना जाएगा कि बोली जमा करके, बोलीदाता डीजीएफटी, उसके कर्मचारियों को, बिना किसी शर्त के, पूरी तरह और अंतिम रूप से, किसी भी दावे, नुकसान, क्षति, लागत, खर्च या देनदारियों के लिए सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करता है, जो किसी भी तरह से यहाँ वताए गए किसी भी अधिकार के प्रयोग और/या किसी भी दायित्व के पालन से संबंधित हैं या उनसे उत्पन्न होते हैं, और/या निविदा प्रक्रिया के संबंध में हैं, और लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, इस संबंध में उसके पास मौजूद किसी भी और सभी अधिकारों और/या दावों को छोड़ देता है, चाहे वे वास्तविक हों या आकस्मिक, चाहे वर्तमान में हों या भविष्य में।

13.3. प्रॉपराईटी डाटा

डीजीएफटी/एमएसटीसी को बोलीदाता द्वारा आपूर्ति किए गए सभी दस्तावेज और अन्य जानकारी डीजीएफटी/एमएसटीसी के पास रहेगी।

13.4. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

13.4.1. एक बोलीदाता के पास अपनी बोली जमा करने और एमएसटीसी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने में सक्षम होने के लिए हस्ताक्षर करने और एन्क्रिप्शन कॉम्बो प्रकार का एक वैध वर्ग III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) होना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए, बोलीदाताओं को भारत में किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण या उनकी अधिकृत एजेंसियों से हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के तृतीय श्रेणी डीएससी की खरीद करनी होगी। बोली लगाने वाला ध्यान दे सकता है कि केवल एक उपयोगकर्ता आइडी को किसी दिए गए वर्ग III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन डीएससी के साथ मैप किया जाएगा। श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन डिजिटल

हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग उन बोलियों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए किया जाएगा जो बोली लगाने वाला ऑनलाइन जमा करेगा।

13.4.2. तृतीय श्रेणी हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना बोली लगाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बोली लगाने वाला तृतीय श्रेणी के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन डीएससी के किसी भी दुरुपयोग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और एमएसटीसी/डीजीएफटी द्वारा किसी भी स्तर पर इस संबंध में कोई शिकायत/अभिवेदन नहीं लिया जाएगा।

14. सिस्टम सेटिंग:

सिस्टम सेटिंग के लिए चरण इस प्रकार हैं:

14.1. यूआरएल - <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft> पर जाने पर

पहली बार, एक पॉप-अप दिखाई देगा, 'सिस्टम सेटिंग की जांच, आगे बढ़ने के लिए ओके दबाएं'।

14.2. ओके पर क्लिक करें और "सिस्टम सेटिंग चेक स्टेटस" के लिए पॉप-अप दिखाई देगा।

14.3. कृपया जांच करें कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल किया गया है या नहीं। इसे कंट्रोल पैनल ->प्रोग्राम ->प्रोग्राम और फीचर पर जाकर और सिस्टम में जावा के स्थापित किए गए संस्करणों को देखकर जांचा जा सकता है। यदि आपके सिस्टम में जावा स्थापित नहीं किया गया है तो डाउनलोड जावा के साथ आगे बढ़ें।

14.4. एक बार जावा स्थापित हो जाने के बाद, जावा संस्करण स्थापित होने के आधार पर, कृपया पीकेआइ एप्लिकेशन (32 बिट या 64 बिट) डाउनलोड करें।

14.5. एक बार पीकेआइ एप्लिकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, इसे अपने पीसी में स्थापित करें।

14.6. एक बार पीकेआइ एप्लिकेशन स्थापित हो जाने के बाद, आगे बढ़ें या डाउनलोड करें और प्रमाणपत्र स्थापित करें।

14.7. एक बार जावा और पीकेआइ दोनों एप्लिकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, कृपया ब्राउज़र सेटिंग अद्यतित करें। यदि आप गुगल क्रोम या एज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो कनेक्शन की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित पर क्लिक करें: <https://localhost:13591/SignInService/GetData>

14.8. एक बार संदेश "सक्सेस! इट इज वर्किंग", स्क्रीन पर दिखाई देता है, पृष्ठ को रिफ्रेश करना है और अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना है।

14.9. वैकल्पिक रूप से, सिस्टम सेटिंग और बोली प्रक्रिया निदेशों के लिए, बोलीदाता यूआरएल के साथ पृष्ठ पर "सिस्टम सेटिंग और विडियो गाइड" लिंक के माध्यम

से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं: <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/layouts/biddersguidemlcl.html>

14.10. किसी भी प्रश्न या सिस्टम सेटिंग से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए कृपया निम्नलिखित हेल्प-डेस्क नंबरों से संपर्क करें:

दूरभाष संख्या - 0796906600, 01123212357, 01123215163, 01123217850

उपलब्धता- 9:30 बजे प्रातः से 5:30 बजे सायं सभी कार्य दिवस पर।

अनुलग्नक-11

निविदा प्रक्रिया की अस्थायी अनुसूची:

1.	बोली प्रारंभ तिथि	29.12.2025
2.	बोली देय तिथि	02.01.2026
3.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	05.01.2026
4.	डीजीएफटी द्वारा टीआरक्यू आवंटन और जारी करना	जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th December, 2025

No. 39/2025-26

Subject: Procedure for Allocation of TRQ under tariff head 7108 under India-UAE CEPA for FY 2025-26-reg.

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/Part-I/E-35248.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time and in continuation of the Public Notice no. 31/2025-26 and Trade Notice no. 16/2025-26 dated 29.10.2025, wherein it was decided that the allocation of TRQ for Gold under India-UAE CEPA will be undertaken based on the competitive bidding/tender process. Accordingly, the Directorate General of Foreign Trade hereby invites bids/tenders for the first round of allocation of Gold TRQ under tariff head 7108 under India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) for FY 2025-26 as under:

- i. The Process for inviting bids from the Trade and Industry is clearly laid out in the Tender Document given at Annexure – I. The same may be accessed at the MSTC website at (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft>).
- ii. The Total Quantity of Allocation in the current Tender process is restricted to 30 MT in the current round of Allocations.
- iii. The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 26.09.2025 signed on 08.10.2025 has disposed of the petitions directing the respondents to expeditiously review the TRQ Allocation for the FY 2025-26. The operative part of the Hon'ble High Court order is reproduced below

“18. Necessarily, given that six months out of the current financial year have already elapsed, the respondents would be required to undertake a review of the TRQ allocation so as to utilize the quota for the current financial year.

19. Considering the facts and circumstances of the case, it would be apposite for the respondents to

conduct the aforesaid review as expeditiously as possible and preferably within a period of four weeks from today.

20. While conducting the review, the concerned authorities shall duly take into account the grievances / apprehensions highlighted by the petitioners in the present petitions, particularly the aspect that the allocation policy must veer towards making the same broad-based and extending it to those applicants who do not have a track record of substantial turnover over the preceding few years (even though they have significant network) as well as those seeking TRQ allocation for the first time.

21. In the event the respondents are inclined to accept the request of the petitioners, the DGFT may introduce additional conditions / criteria to allocate the TRQ accordingly.

22. With the aforesaid directions, the petitions (along with pending applications) are disposed of.”

- iv. In compliance with the court order, to broaden the allocations, the eligible participants for the current round are restricted to Micro and Small Enterprises only, who comply with the eligibility conditions given in the Annexure – IV of the Appendix – 2A and the maximum eligible quantity for allocation to bidders of Micro and Small units is limited to 10 kg and 25 KG, respectively.
- v. The Exim Facilitation Committee (EFC) reserves the right to extend the total Quantity for allocation under this bid by 50 %, i.e. additional 15 MT, in case of cumulative bids received beyond the Total quantity given at Sl. No. ii above.
- vi. Only one registered user (on the MSTC Website) is allowed to participate in the Bidding process for a given IEC. Furthermore,
 - a. In case the details of the registered user are figuring in the IEC (as Proprietor, Partner, Director, etc.), a copy of the IEC is to be submitted on the MSTC portal during the technical bid.
 - b. In case the name of the registered user does not figure in the IEC details of the Bidder, an Authority letter duly signed by the Proprietor/Partner/Karta/Director whose name is appearing in the IEC, is to be submitted on the MSTC portal during the technical bid.
- vii. The tentative schedule of the Tender process is given in **Annexure – II**.
- viii. The schedule for the next round of Allocations will be intimated after the conclusion of the current round of Allocations.
- ix. Any false information, suppression of facts, or misrepresentation shall result in *ab initio* cancellation of the bid and may invite penal proceedings under the relevant provisions of the FTDR Act, read with the applicable Rules, the Foreign Trade Policy (FTP), the Handbook of Procedures (HBP), and the provisions of the Tender Document.

Effect of this Public Notice: The procedure is prescribed for the first round of Allocation of TRQ for imports of Gold under tariff head 7108 under India-UAE CEPA for FY 2025-26.

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade

Annexure-I

Directorate General of Foreign Trade

GOVERNMENT OF INDIA

Tender Document

for

Gold Tariff Rate Quota under India – UAE CEPA

1. Important Information

1.1. This Tender Document has been issued pursuant to the Public Notice No. 31/2025-26 dated 29.10.2025 read along with Trade Notice No. 16/2025-26 dated 29.10.2025 with the intent to carry out e-auction for allocation of Tariff Rate Quota for Gold under India – UAE CEPA (hereafter referred to as “TRQ”). All information provided in this Tender Document should be read together with the Foreign Trade

Policy, 2023 (hereafter referred to as “FTP”), Handbook of Procedures, 2023 (hereafter referred to as “HBP”), Public Notices, and the Trade Notices issued by Directorate General of Foreign Trade (hereafter referred to as “DGFT”) there under. In the event of a conflict between this Tender Document and the provisions of FTP or HBP, the provisions FTP or the HPB (as amended from time to time), as the case may be, shall prevail.

1.2. It is hereby clarified that for the purposes hereof, till the declaration of final allocations of TRQ, only DGFT is authorized to issue any communication hereunder and only written communication from the DGFT, uploaded on the DGFT Website (www.dgft.gov.in), shall be considered as an official communication. For facilitation of the trade, the said written communication will also be uploaded (till the declaration of TRQ allocations by DGFT) on the e-auction website of MSTC Limited (hereafter referred to as “MSTC”).

1.3. This Tender Document is neither an agreement nor an offer by the DGFT to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this Tender Document is to provide interested parties with information that may be useful to them in making their bids pursuant to this Tender Document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, adequacy, correctness, reliability and completeness of the information contained in this Tender Document and obtain independent advice from appropriate sources.

1.4. Information provided in this Tender Document to the Bidder(s) has been collated from several sources some of which may depend upon interpretation of Applicable Law. The information given is not intended to be an exhaustive account of statutory requirements and should not be regarded as complete. The DGFT accepts no responsibility for the accuracy or otherwise for any statement contained in this Tender Document.

1.5. The DGFT accepts no liability of any nature howsoever caused arising from reliance of any Bidder upon the statements contained in this Tender Document.

1.6. The DGFT may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumptions contained in this Tender Document.

1.7. The issue of this Tender Document does not imply that the DGFT is bound to select Bidders or to appoint the Preferred Bidders as Successful Bidders for the allocation of TRQ and the DGFT reserves the right to reject all or any of the Bidders or bids without assigning any reason whatsoever.

1.8. Each Bidder shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission fits bid including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations or presentations which may be required by the DGFT/MSTC or any other costs incurred in connection with or relating to its bid.

1.9. In case the day of completion of any requirement is falling due, on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next successive working day. The expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government, as the case may be.

1.10. Each Bidder shall be responsible for any problem at the Bidder's end like failure of electricity, loss of internet connection, any trouble with Bidder's computer etc. which may cause inconvenience or prevent the Bidder from bidding in e-auction.

2. Definitions

The words and expressions used herein but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the Rules made there under. The following definitions apply to this Tender Document, unless the context otherwise requires:

2.1. “**Act**” means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 as amended from time to time.

2.2. “**Applicable Law**” shall mean all applicable statutes, laws, by-laws, rules, regulations, orders, ordinances, protocols, codes, guidelines, notices, directions, judgments, decrees or other requirements or official directive of any governmental authority or court or other law, rule or regulation approval from the relevant governmental authority, government resolution, directive, or other government restriction or any similar form of decision of, or determination by, or any interpretation or adjudication having the force of law in India at the relevant point in time.

2.3. “**Bidder**” means a person who is registered on the MSTC Website ([URL: https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft](https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft)) for the purpose of participating in the Gold TRQ Auction, and the expression Bidders shall include all such persons.

- 2.4. “**Bid Due Date**” shall mean the date on or before which the Technical Bid and the price bid is required to be submitted in accordance with.
- 2.5. “**Bid Security**” shall have the meaning given to such expression in Clause 11 of this document.
- 2.6. “**DGFT website**” shall mean <https://www.dgft.gov.in>.
- 2.7. “**Exim Facilitation Committee**” shall mean Exim Facilitation Committee (EFC) as defined in the Foreign Trade Policy read along with Handbook of Procedures.
- 2.8. “**Financial Bid/ Price Bid**” shall mean the consolidated form in which the required quantities are specified against each Price Bucket.
- 2.9. “**Preferred Bidders**” shall mean a Bidder to whom the EFC has allocated any quantity of TRQ, and “Total Allocated TRQ” for such Preferred Bidder means the aggregate quantity of TRQ allocated by the EFC to that Bidder across all Price Buckets.
- 2.10. “**Price Bucket**” shall mean the specific price per KG of Gold that Bidder is willing to pay to DGFT for the allocated quantity of TRQ. For sake of ease, the Tender consists of 101 Price buckets ranging from 100000 to 0 in steps of 1000 each.
- 2.11. “**Section**” means Section of the Act.
- 2.12. “**Successful Bidders**” shall mean those preferred bidders who satisfy the conditions in Clause 8 of this document.
- 2.13. “**Technical Bid**” shall have the meaning given to such expression in Clause 7.2 of this document.
- 2.14. “**Technically Qualified Bidders**” shall have the meaning given to such expression in Clause 7.2
- 2.15. “**Tender Document**” means this tender document together with the schedules and documents referred to herein, including the Information Memorandum and any addenda to this Tender Document.

3. Introduction

- 3.1. The Public Notice no. 31/2025-26 dated 29.10.2025 stipulates for allocation of TRQ through competitive bidding/tender process in respect of Gold under India – UAE CEPA
- 3.2. In exercise of powers conferred by Section 5 of the Act, the DGFT has notified the eligibility criteria for filing an application for TRQ vide Public Notice no. 31/2025-26 dated 29.10.2025 and other relevant provisions of FTP, 2023 and the procedures notified there under. The Bidders are encouraged to acquaint themselves with the same.
- 3.3. The e-auction would be conducted in accordance with the above-mentioned provisions of FTP and HBP and this Tender Document.
- 3.4. The Bidders are expected to conduct due diligence regarding the prevailing prices of Gold in the international market and familiarize themselves with all applicable Laws relating to import of Gold, its physical delivery etc.

4. The Tariff Rate Quota of Gold under India – UAE CEPA

- 4.1. The India–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), which came into force on 01 May 2022, provides preferential tariff access for specified quantities of gold imported from the United Arab Emirates under the Tariff Rate Quota (TRQ) mechanism. The TRQ aims to promote trade facilitation, ensure predictable import flows, and strengthen bilateral economic engagement.
- 4.2. Under the CEPA commitments, India has extended concessional Basic Customs Duty (BCD) on a notified quantity of gold imported annually from the UAE as given under Appendix 2A.
- 4.3. The annual TRQ quantity for gold is allocated as per guidelines notified by DGFT under Annexure-IV of Appendix-2A. The TRQ Authorisation issued under DGFT enable importers to avail concessional duty rates at the time of customs clearance.

5. Eligibility

- 5.1. Pursuant to the Annexure IV to the Appendix 2A amended vide Public Notice No. 31/2025-26 dated 29.10.2025, the eligibility for participating in the e- auction shall be as follows:
- 5.1.1. The eligible applicant must be registered with the Bureau of Indian standards (BIS) for hallmarking.
- 5.1.2. The applicant shall be a person registered under the applicable Goods and Services Tax (GST) enactments in India and shall hold a valid GST Identification Number (GSTIN).

5.1.3. Import of Gold Dore under TRQ shall not be considered.

6. Pre-bid Conference

6.1. Potential bidders may seek clarifications or request further information regarding this Tender Document.

6.2. Any queries or requests for additional information concerning this Tender Document may be raised through a Helpdesk request on the DGFT website.

6.3. The Helpdesk request should clearly bear the following subject line: "Queries/Request for Additional Information: Tender Document for "TRQ for Gold under *India-UAE CEPA*".

6.4. Each query should contain complete details of facts, information and Applicable Law relevant to the query and the particulars of the person posing the query. The DGFT reserves the right to not answer any query, including any query which is incomplete or anonymous.

6.5. The queries should be emailed on or before 3 days prior to the start date of the Bid.

6.6. It is expressly clarified that no queries may be submitted beyond the last date for receipt of queries as indicated above.

6.7. The DGFT shall endeavor to respond to the queries within the period of 3 days. However, the DGFT reserves the right to not respond to any question or provide any clarification, in its sole discretion, and nothing in this Tender Document shall be taken or read as compelling or requiring the DGFT to respond to any question or to provide any clarification.

6.8. Pre-bid conference(s) of the potential bidders shall be convened on the designated date as mentioned in the Trade Notice at a time and place specified by the DGFT. The DGFT may, at its sole discretion, choose to convene the pre-bid conference through virtual mode (or a hybrid of virtual and physical modes) subject to such conditions as may be notified separately by the DGFT.

6.9. A maximum of 1 representative of each potential bidder shall be allowed to participate, on submission of a letter, duly issued authority from the potential bidder and identity documents. The DGFT shall endeavor to provide clarifications and such further information, as it may consider, in its sole discretion, appropriate for facilitating a fair, transparent and competitive tender process.

6.10. The DGFT may also, on its own motion, if deemed necessary, issue interpretations and clarifications to all potential bidders. All clarifications and interpretations issued by the DGFT shall be deemed to be part of the Tender Document.

7. Bidding Process

7.1. Registration:

7.1.1. In order to submit the bids for allocation of TRQ for Gold under India – UAE CEPA, a bidder would be required to register online on MSTC portal. For registration, the Bidder should visit the page dedicated to DGFT on MSTC website URL - "<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft>" and click on the button "Registration".

7.1.2. An online Registration Form will appear on screen and Bidder will be required to fill the same. During this process, Bidder would be required to create its "user id" and "password" and keep note of the same. Bidder should ensure that the secrecy of its user id and password is maintained at all time and Bidder shall alone be responsible for any misuse of the user id and password.

7.1.3. On completion of the above stated registration process, a Bidder shall be able to log in to MSTC's website. The bidders shall have a valid Class III Signing and Encryption type Digital Signature Certificate (DSC) for submission of bid in the e-tender.

7.2. Tender Process:

7.2.1. The tender will comprise both "Technical and Financial Bid" components, which must be submitted as per the stipulated terms and conditions.

7.2.2. The Bidders shall be required to submit the bid on or prior to "Bid Due Date".

7.2.3. The tender will contain a single lot with technical bid, document upload for qualification and excel based price bid. The bidder has to submit participation fee of Rs 5000/- plus GST and bid security of Rs. 1,00,000/- before uploading of documents and submission of bid.

7.2.4. The Technical Bid comprises the submission of documents required for technical qualification showing valid GST Registration of the bidder, valid hallmark registration of the bidder, valid Import Export

Code (IEC), valid MSME certificate (in case of Micro and Small Enterprises) and submission of remarks against technical terms submitted technical documents, if any. All requisite technical documents must be uploaded by the bidder strictly in accordance with the tender requirements.

7.2.5. Once the documents have been uploaded and technical bid submitted by the bidder, the bidder shall proceed to submit the financial/price bid.

7.2.6. The Excel-based Price Bid shall comprise 101 price buckets. The bidder is required to indicate the quantity he intends to bid against interested price buckets. Bidders may choose to quote for any number of price buckets, as per their preference. All quantities must be entered only in whole numbers. The format of the excel based price bid is as follows:

7.2.7. The bidder shall download the Excel sheet available under the Financial Bid section. The bidder must duly fill in the required quantity details against interested price buckets in the Excel sheet and save the file with the same filename before uploading it under the Financial Bid section.

7.2.8. After uploading the Excel sheet, the bidder shall click on “Final Bid Submission” to successfully submit the bid on the MSTC portal.

7.3. The Technically qualified bidders are those who have fulfilled the eligibility conditions and submitted the required documents evidencing the same in the Technical bid.

7.4. The financial bids shall be opened only for those bidders who are technically qualified as per the extant rules notified by DGFT.

7.5. DGFT is not obliged to provide any explanation or clarification on the disqualification to Bidders who fail to qualify as Technically Qualified Bidders.

7.6. The List of the Financial Bids of the technically qualified bidders will be submitted to the Exim Facilitation Committee (EFC). The EFC will further allocate the Quantities, less than or equal to the bid Quantities subject to such limits as deemed fit. Such bidders to whom the EFC has allocated the TRQ are considered as Preferred Bidders.

7.7. The following officials of MSTC may be contacted for any query/clarification:

- Helpdesk Nos: 011-65263075, 011-65263076, 011-65263077
- Shri Keshav Arora, Contact: 9830430434, email: Nroopn15@mstcindia.in
- Mrs. Unneti Saini, Contact: 7471118456, email: nroopn7@mstcindia.in

Further, the following officials of DGFT may be contacted for any query/clarification:

- a. Shri Manish Sirohi, Foreign Trade Development Officer, Tele: 011-23038996
- b. Shri Animesh Chowdhury, Foreign Trade Development Officer, Tele: 011-23038796
- c. Shri Ajay Chaudhary, Foreign Trade Development Officer, Tele: 011-23038833

NOTE:

- i. **Bidder may also refer to the “Bidder’s Guide” available online in the above-mentioned website for assistance.**
- ii. The Bidder may note that only one user id will be mapped with a given Class III Signing and Encryption type DSC. It will be the sole responsibility of the Bidder to maintain the secrecy of the password for the Class III Signing and Encryption type Digital Signature Certificate. The Bidder shall be solely responsible for any misuse of the Class III Signing and Encryption type DSC and no complaint / representation in this regard shall be entertained at any stage by MSTC/ DGFT

8. Declaration of Successful Bidders

8.1. The Preferred Bidders will be declared as successful Bidders only on completion of the following actions:

8.1.1. Satisfy the conditions specified in Annexure-IV to the Appendix 2A of the FTP, 2023 and any other conditions subsequently mentioned in the Public Notice/ Trade Notice issued by DGFT.

8.1.2. File a TRQ Application on the DGFT website by following the link below-

(<https://dgft.gov.in>) --> Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ)

8.1.3. Payment of bid amount for the quantity allocated by EFC to DGFT, through TRQ Application filed on DGFT Website, within a period of 15 days from the date of publication of TRQ quantities by DGFT .

8.2. The Successful Bidder is entitled to refund of the Bid Security deposited by him during the Technical Bid process within a period of 4 weeks as detailed at Clause 11 of the Tender document.

8.3. In case the Preferred Bidder fails to submit the bid amount within the period mentioned above, the DGFT shall forfeit the Bid Security of the Preferred Bidder; and disqualify the bidder for further allocations during the current and the subsequent financial year.

9. Timetable

The timetable of the tender process will be given in the Public Notice issued by DGFT. The timetable may be amended by the DGFT through issuance of a subsequent Corrigendum.

10. General Conditions Regarding Tender Process

10.1. Submission of Technical Bid

10.1.1. The Technical component comprises the submission of documents required for technical qualification showing valid GST Registration of the bidder, valid hallmark registration of the bidder, valid IEC Number, valid MSME certificate (in case of Micro and Small Enterprises) and submission of remarks against technical commercial specifications. All requisite technical documents must be uploaded by the bidder strictly in accordance with the tender requirements.

10.1.2. Once the documents have been uploaded and technical bid submitted by the bidder, the bidder shall proceed to submit the financial/price bid.

10.2. Language

The Bid and all communications in relation to or concerning the Tender Document and the Bid are required to be in the English language.

10.3. Documents and information

The documents including this Tender Document and all attached documents, provided by the DGFT are and shall remain or become the properties of the DGFT and are transmitted to the Bidders solely for the purpose of preparation and the submission of a bid in accordance with applicable laws. Bidders shall not use it for any purpose other than for preparation and submission of their bid. The provisions of this Clause shall also apply to bids and all other documents submitted by the Bidders in relation to the bid, and the DGFT will not return to the Bidders any bid, document or any information provided along therewith.

10.4. Cost of bidding

The Bidders shall be responsible for all the costs associated with the preparation of their bids and their participation in the tender process. The DGFT will not be responsible or in any way liable for such costs, regardless of the conduct or outcome of the tender process.

10.5. Verification of information by the Bidders

10.5.1. It shall be deemed that by submitting a bid, the Bidder has:

- (a) Made a complete and careful examination of the Tender Document and unconditionally and irrevocably accepted the terms thereof.
- (b) reviewed all relevant information provided by the DGFT, as maybe relevant to the bid.
- (c) accepted the risk of inadequacy, error or mistake in the information provided in the Tender Document or furnished by or on behalf of the DGFT relating to any of the matters related to the e-auction process.
- (d) satisfied itself about all matters regarding the e-auction process for submitting an informed bid, in accordance with this Tender Document and performance of all its obligations.
- (e) acknowledged and agreed that inadequacy, lack of completeness or in correctness of information provided in the Tender Document or ignorance of any of the matters related to the e-auction process hereinabove shall not be a basis for any claim for compensation, damages, extension of time for performance of its obligations, loss of profits etc. from the DGFT.
- (f) Agreed to be bound by the undertakings provided by it under and in terms hereof.

10.5.2. The DGFT shall not be liable for any omission, mistake or error in respect of any of the information provided or on account of any matter or thing arising out of or concerning or relating to the Tender Document or the tender process, including any error or mistake therein or in any information or data given by the DGFT.

10.6. Verification by the DGFT and debarment

The DGFT reserves the right to verify all statements, information and documents submitted by the Bidder in response to the Tender Document and the Bidder shall, when so required by the DGFT, make available all such information, evidence and documents as may be necessary for such verification. Any such verification or lack of such verification by the DGFT shall not relieve the Bidder of its obligations or liabilities hereunder nor will it affect any rights of the DGFT there under.

10.7. Bid Due Date and extension

The DGFT may, in its sole discretion, extend the Bid Due Date by issuing a Trade Notice that is made available to all Bidders on the DGFT website.

10.8. Modifications/substitution/withdrawal of bids

The Bidder may modify, substitute or withdraw its Technical Bid after submission, prior to the Bid Due Date. No Technical Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder after the scheduled closing time for Bid submission on the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought by the DGFT.

10.9. Rejection of bids

10.9.1. Notwithstanding anything contained in this Tender Document, the DGFT reserves the right to reject any bid and/or annul the tender process at any stage, without any obligation or liability and without assigning any reason.

10.9.2. Incase such cancellation is pursuant to non-compliance by the relevant Bidders vis-à-vis submissions of bid then the DGFT reserves the right to appropriate the relevant Bid Security submitted by such non-compliant Bidders.

10.9.3. The DGFT reserves the right not to proceed with the tender process at any time, without notice or liability, and to reject any bid without assigning any reasons.

10.9.4. Without prejudice to the generality of the foregoing, the DGFT reserves the right to reject any bid on any criteria specified in this Tender Document, including without limitation, such bids that:

- (a) have not been submitted with all the information and details listed in this Tender Document.
- (b) are not conforming to the terms of this Tender Document.
- (c) Bids have been submitted without Bid Security or period of validity.
- (d) Bids have otherwise not been submitted in accordance with the Tender Document.

10.10. Validity of bids

The price bid given in the bid is valid till the final allocation of TRQ by the EFC or annulment/cancellation of Tender Process whichever is later.

10.11. Change affecting the Bidder

Upon submission of the Technical Bid, any change affecting the Bidder regarding compliance with the eligibility conditions shall result in disqualification of the Bidder. Any change in any information submitted by the Bidder must be immediately communicated to the DGFT.

10.12. Minor deviations

The DGFT may permit minor deviations from the requirements of this Tender Documents. It is clarified that such minor deviation would not be permitted in matters related to eligibility and shall be permitted only with respect to procedural requirements. The decision of the DGFT regarding what constitutes minor deviation shall be final and binding.

11. Bid Security

11.1. The Bidder shall furnish as part of its Technical Bid, a security of an amount of INR 1,00,000/- on MSTC portal.

11.2. Save and except as provided in this Tender Document, the Bid Security of unsuccessful Bidders will be returned by the DGFT, without any interest, within a period of 4 (four) weeks from the date of declaration of the Preferred Bidder or annulment of the tender process as per the provisions of the Tender Document, whichever is earlier.

11.3. The Preferred Bidder's Bid Security will be returned to the bidder within a period of Four weeks from the successful payment of Bid amount to DGFT for issuance of TRQ Certificate for the allocated Quantity.

11.4. The DGFT shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security as damages, if the preferred bidder fails to deposit the bid amount, along with the TRQ application to DGFT, within the prescribed time. No relaxation of any kind on Bid Security shall be given to any Bidder.

11.5. The Bid Security shall be forfeited as damages without prejudice to any other right or remedy that may be available to the DGFT under the Tender Document and/, or otherwise, under, *inter alia*, if a Bidder engages in a Fraudulent Practice, Coercive Practice or Restrictive Practice as specified in Clause 12 of this Tender Document.

12. Fraud Practices

12.1. The Bidders and their respective officers, employees, agents and advisers shall observe the highest standard of ethics during the tender process. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the DGFT may reject a bid, as the case may be, without being liable in any manner whatsoever to the Bidder, Technically Qualified Bidder, Preferred Bidder, or the Successful Bidder, as the case may be, if the DGFT determines that the Bidder, Technically Qualified Bidder, Preferred Bidder, or Successful Bidder, as the case may be, has, directly or indirectly or through an agent, engaged in Fraudulent Practice, Coercive Practice or Restrictive Practice in the tender process. In such an event, the DGFT shall be entitled to forfeit and appropriate the entire Bid Security, as damages, without prejudice to any other right or remedy that may be available under the Tender Document and/ or otherwise.

12.2. If a Bidder, Technically qualified Bidder, Preferred Bidder or Successful Bidder, as the case maybe, is found by the DGFT to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any Fraudulent Practice, Coercive Practice or Restrictive Practice during the tender process, such Bidder or Successful Bidder shall be put in Denied Entity List (DEL) maintained by DGFT and will not be eligible to participate in any tender issued by the DGFT for a period of 3 (three) years from the date such Bidder or Successful Bidder, as the case maybe, found by the DGFT to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any Fraudulent Practice, Coercive Practice or Restrictive Practices, as the case maybe.

12.3. For the purposes of this Tender Document, the following terms shall have the meaning hereinafter, respectively assigned to them:

12.3.1. “**Fraudulent Practice**” means a misrepresentation or omission of facts or suppression of facts or disclosure of incomplete facts, in order to influence the tender process.

12.3.2. “**Coercive Practice**” means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any person or property to influence any person’s participation or action in the tender process; and

12.3.3. “**Restrictive Practice**” means forming a cartel or arriving at any understanding or arrangement among Bidders with the objective of restricting or manipulating a full and fair competition in the tender process.

13. Other Provisions

13.1. Governing law

The Tender process shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of India.

13.2. Right of DGFT

13.2.1. The DGFT, in its sole discretion and without incurring any obligation or liability, reserves the right, at any time, to:

- (a) Suspend and/ or cancel the tender process and/ or amend and/ or supplement the tender process or modify the dates or other terms and conditions relating thereto;
- (b) Consult with any Bidder in order to receive clarification or further information;
- (c) Retain any information and /or evidence submitted to the DGFT by, on behalf of, and/or in relation to any Bidder; and/ or
- (d) Independently verify, disqualify, reject and/ or accept any and all submissions or other information and/or evidence submitted by or on behalf of any Bidder.

13.2.2. It shall be deemed that by submitting the bid, the Bidder agrees and releases the DGFT, its employees, irrevocably, unconditionally, fully and finally from any and all liability for claims, losses, damages, costs, expenses or liabilities in any way related to or arising from the exercise of any rights and/ or performance of any obligations hereunder, pursuant hereto and/ or in connection with the tender process and waives, to the fullest extent permitted by Applicable Law, any and all rights and/or claims it may have in this respect, whether actual or contingent, whether present or in future.

13.3. Proprietary data

All documents and other information supplied by a Bidder to the DGFT/MSTC shall remain with the DGFT/MSTC.

13.4. Digital Signature Certificate

13.4.1. A Bidder shall be required to possess a valid Class III Signing and Encryption Digital Signature Certificate (DSC) of signing and encryption combo type to be able to submit its Bid and to participate in the electronic auction on MSTC website. For this purpose, Bidders shall be required to procure a class III DSC of signing and encryption type from any Certifying Authority or their authorized agencies in India. The Bidder may note that only one user id will be mapped with a given Class III Signing and Encryption DSC. The Class III Signing and Encryption Digital Signature Certificate will be used to digitally sign the Bids that the Bidder will submit online.

13.4.2. It will be the sole responsibility of the Bidder to maintain the secrecy of the password for the Class III Signing and Encryption Digital Signature Certificate. The Bidder shall be solely responsible for any misuse of the Class III Signing and Encryption DSC and no complaint / representation in this regard shall be entertained at any stage by MSTC/ DGFT.

14. System Settings:

The steps for system settings are as follows:

14.1. Upon visiting the URL at- <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/dgft> for the first time, a pop-up will appear, ‘Checking System Settings, Press Ok to Proceed’.

14.2. Click on Ok and the pop-up for “System Setting Check status” will appear.

14.3. Please check whether Java is installed in your System. This can be checked by going to Control Panel -> Program -> Program and Feature and look for installed versions of Java in the system. If Java is not installed in your System proceed with Download Java.

14.4. Once Java is installed, based on the Java version installed, please download PKI Application (32 bit or 64 bit).

14.5. Once the PKI application is downloaded, install the same in your PC.

14.6. Once PKI application is installed, proceed or download and install the Certificate.

14.7. Once both Java and PKI Application are downloaded, please update browser settings. If You Are Using Google Chrome or Edge clicks on the following to allow connections: <https://localhost:13591/signservice/getdata>

14.8. Once the message “Success! It is working”, appears on the screen, refresh the page and log in using your credentials.

14.9. Alternatively, for system setting and bidding process guide, bidders can download the video through the link [“System Setting and Bidding Video Guide”](https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/Layouts/biddersguidemlcl.html) on the page with URL: <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/Layouts/biddersguidemlcl.html>

14.10. For any Queries or System Setting Related Technical issues concerns please contact the following Help-Desk numbers:

PhoneNumbers- **07969066600, 01123212357, 01123215163, 01123217850** Availability- 9:30AMto5:30PMonallworkingdays

Annexure-II

Tentative schedule of the Tender process:

1.	Bid start date	29.12.2025
2.	Bid due date	02.01.2026
3.	Technical bid opening	05.01.2026
4.	TRQ Allocation and Issuance by DGFT	2 nd week of January, 2026